यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (पुरुष), देहरादून, उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (पुरुष), देहरादून, उत्तराखंड के माह 08/2018 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी, श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एस.आर. मीणा, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29.8.2020 से 04.9.2020 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षा द्वारा श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे दिनांक 31.8.2018 से 05.09.2018 तक संपादित की गयी जिसमे 05/2013 से 07/2018 तक के अभिलेखो की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2018 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच संपादित की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- इस संस्थान मे प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों की आवश्यकतानुसार भारत सरकार डीजीटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अनुदेशकों द्वारा विभिन्न व्यवसायों मे तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है। यह संस्थान विश्व बैंक सहायतित यूकेडबल्यूडीपी योजना के अंतर्गत चयनित है तथा इस योजना के माध्यम से संस्थान का आधुनिकीकरण, उच्चीकरण तथा नए व्यवसायों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल मण्डल के देहरादून जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र है।

   (ii) (अ) लेखापरीक्षा अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय (राज्य सैक्टर) की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष (कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग)	आवंटन	व्यय	समर्पण/बचत
2017-18	2230,2071,4216	1012.38	966.98	45.40
2018-19	2230,2071,4216	1047.03	1003.33	43.70
2019-20	2230,2071,4216	1038.36	1730.56	-692.30
2020-21 (8/20)	2230,2071,4216	1019.90	750.92	268.98

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम/लेखाशीर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**योग**	**व्यय**	**अंतिम अवशेष (बैंक में)**
2017-18	----------NIL----------					
2018-19						
2019-20						
2020-21 (8/20)						

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य श्रोत राज्य सरकार/केंद्र सरकार है। स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

3 (i) विभाग का संगठनात्मक (उत्तराखंड शासन) ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव
2. निदेशक
3. अपर निदेशक
4. प्रधानाचार्य
5. अनुदेशक
6. समूह ग एवं घ कर्मचारी
7. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः**- लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (पुरुष), देहरादून, उत्तराखंड** के 8/2018 से 8/2020 की अवधि को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (पुरुष), देहरादून, उत्तराखंड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। इस लेखापरीक्षा मे माह 02/2020 & 06/2020 (Treasury head-BM 5) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय की धनराशि के आधार पर किया गया।

(ii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा- 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग - 2'अ'</u>

प्रस्तर:1 धनराशि रु 09.00 करोड़ का बिल/वाउचर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया जाना।

कार्यालय के बजट व्यय विवरण एवं बीएम-5 से संबन्धित अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 मे इस कार्यालय के द्वारा उत्तराखंड कौशल विकास समिति को विश्व बैंक सहायतित परियोजना UKWDP के अंतर्गत धनराशि रु 5.00 करोड़ ट्रेजरी से आहरित (वाउचर संख्या B22300120 दिनांक 20.2.2020) कर समिति के बैंक खाते मे स्थानांतरित (transfer) किया गया गया। इसी प्रकार अप्रैल 2020 मे धनराशि रु 1.00 करोड़ एवं जून 2020 मे धनराशि रु 3.00 करोड़ ट्रेजरी से आहरित (वाउचर संख्या B22300030 दिनांक 27.4.2020 & वाउचर संख्या B22300006 दिनांक 4.6.2020) कर समिति के बैंक खाते मे स्थानांतरित (transfer) किया गया गया। अभिलेखों की जांच से ज्ञात होता है कि उक्त धनराशि निदेशक/प्रशिक्षण निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल को उनके डीडीओ कोड/ट्रेजरी कोड के अंतर्गत आवंटित किया गया था परंतु धनराशि प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून (लेखापरीक्षित इकाई) के द्वारा अपने कार्यालय के डीडीओ कोड/ट्रेजरी कोड द्वारा आहरित कर धनराशि को उत्तराखंड कौशल विकास समिति के बैंक खाते मे स्थानांतरित किया गया। उक्त धनराशि निदेशालय के डीडीओ कोड/ट्रेजरी कोड के अंतर्गत आवंटित किया गया था एवं आहरित धनराशि लेखापरीक्षित कार्यालय के बीएम-5 मे परिलक्षित हो रहा था।

लेखापरीक्षा के द्वारा इकाई से उक्त धनराशि के मदवार व्यय विवरण, बिल/वाउचर एवं इसके समस्त अभिलेख यथा स्वीकृति, टेंडर/कोटेशन आदि प्रस्तुत किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि संबन्धित व्यय विवरण/बिल-वाउचर आदि उत्तराखंड विकास समिति (UKSDM) द्वारा दिया जाना संभव है जो कि लेखापरीक्षा की अंतिम दिन तक नहीं प्रस्तुत किया गया तथा इकाई द्वारा धनराशि आहरित कर कौशल विकाश समिति के बैंक खाते मे स्थानांतरण किए जाने के प्रकरण मे जवाब शासन/निदेशालय द्वारा दिया जाना संभव है।

लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनराशि का आहरण लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किया गया है एवं इकाई के बीएम-5/बजट रजिस्टर आदि मे उक्त धनराशि का व्यय परिलक्षित हो रहा है, अतः उक्त अभिलेख लेखापरीक्षा को सत्यापन एवं संवीक्षा हेतु उपलब्ध कराना कार्यालयाध्यक्ष/डीडीओ का उत्तरदायित्व है।

उक्त प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01:- रु 6.63 करोड़ व्यय के बाद भी आई टी आई मे परियोजना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना तथा व्यय की प्राथमिकता योजना के अनुरूप नहीं पाया जाना।

कार्यालय राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) निरंजनपुर देहरादून की लेखापरीक्षा मे ज्ञात हुआ कि Uttarakhand Workforce Development Project (UKWDP) जो वर्ल्ड बैंक की परियोजना है, के अन्तर्गत उत्तराखंड मे चयनित 25 आई टी आई जिसमे लेखापरीक्षित इकाई भी परियोजना से आच्छादित पाया गया तथा लेखापरीक्षित इकाई उत्तराखंड मे संचालित प्रोजेक्ट का DDO होने के कारण परियोजना की समस्त धनराशि का आहरण-वितरण कार्य का संचालन उनके द्वारा किया जाना लेखापरीक्षा मे पाया गया। जांच मे आगे पाया गया कि सितम्बर 2018 से UKWDP कार्य उत्तराखंड मे गतिमान है जिसपर रु 6.23 करोड़ व्यय किया जा चुका है। परियोजना का मुख्य लक्ष्य Building improvement, Site improvement तथा Amenities improvement था तथा भारत सरकार के निर्धारित लक्ष्य को वर्ष 2022 तक प्राप्त किया जाना है, परंतु लेखापरीक्षा अवधि तक संस्थान में योजना की गतिविधियां शून्य थी तथा ढांचागत विकास से संबन्धित परिसंपातियाँ सृजित नहीं की गयी थी।
इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में building improvement आदि पर कोई व्यय नहीं किया गया है तथा कोई परिसंपातियाँ सृजित नहीं की गयी है। व्यय की गयी धनराशि में परियोजना में सम्मिलित 25 संस्थानों के मास्टर प्लान, प्रोफेसनल डेव्लपमेंट प्लान की कनसलटेन्सी, कार्मिकों के प्रशिक्षण पर व्यय, परियोजना कार्यालय के व्यय किये गए हैं तथा UKSDM द्वारा skill training हेतु 4 करोड़ की धनराशि society A/c मे आहरित की गई है एवं भविष्य मे मास्टर प्लान के अनुसार किए जाने प्रस्तावित है।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, योजना का मुख्य लक्ष्य सर्वप्रथम चयनित संस्थानों में ढांचागत विकास संबंधी परिसंप्पतियाँ सृजित की जानी थी, परंतु कार्मिकों के प्रशिक्षण पर व्यय तथा परियोजना कार्यालय के सुदृढ़ीकरण पर व्यय की प्राथमिकता निरन्तर दी जा रही थी जबकि प्रशिक्षण के लिए पृथक से UKSDM परियोजना संचालित है, फिर भी UKWDP मद से प्रशिक्षण व्यय नियमसंगत नहीं पाया गया तथा योजना का आवधिक प्लान एवं Target-Achievement पर इकाई का मौन रहना परियोजना की क्रियान्वयन मे शिथिलता का प्रकरण पाया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 02: कौशन निधि खाते से 255 छात्रो एवं छात्राओ की धरोहर धनराशि रुपये 12750.00 **को शासनादेश का उलंघ्घन कर वापस न लौटाया जाना एवं 112 छात्रो-छात्राओ (92+20) की छात्रवर्ती धनराशि का** on line **सत्यापन सम्प्रेक्षा तिथि -09/20 तक करना नहीं पाया जाना।**

कॉलेज द्वारा छात्रो एवं छात्राओ से कॉलेज मे प्रवेश के समय धरोहर के तौर पर कुछ धनराशि ली जाती हैं जिसको शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10.07.1986 के अंतर्गत कॉलेज मे छात्रनिधियों के रख रखाव एवं उपयोग संबंधित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है एवं इस प्रयोजन हेतु कॉलेज मे छात्रनिधियाँ संचालित किए जाने का प्रावधान किया गया था जिस पर प्राचार्य का पूर्ण नियंत्रण निर्धारित था। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 06 मे स्पष्ट हैं कि यदि कोई छात्र कॉलेज छोड़ने के तीन वर्ष पश्चात तक अपनी कौशन मनी वापस लेने के लिए आवदेन पत्र' नहीं देता तो यह राशि लेप्स हो जाएगी । संप्रेक्षा द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के छात्र निधि खाते की जांच मे पाया गया कि कॉलेज के कौशन निधि खाते मे 255 छात्रो एवं छात्राओ की धरोहर धनराशि रुपये 12750.00 वर्ष -2017-18 से 2020-21 तक लम्बित पड़ी थी, उपरोक्त धनराशि मे से संप्रेक्षा तिथि-09/20 तक र शून्य की धनराशि को छात्रो एवं छात्राओ के उनके कॉलेज छोड़ने पर लौटाया गया था । जबकि नियमानुसार उक्त धनराशि रुपये 12750.00 को छात्रो एवं छात्राओ को उनके कॉलेज छोड़ने पर लौटाया जाना चाहिये था । आगे इस संबंध मे जांच मे पाया गया कि कॉलेज ने धनराशि वापस करने के संबंध मे शासन/**निदेशालय स्तर से भी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं किए गए थे ।** उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर कॉलेज ने तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि की तथा सम्प्रेक्षा को अवगत कराया कि छात्रो एवं छात्राओ के द्वारा धरोहर धनराशि रुपये 12750.00 को कॉलेज छोड़ने पर तीन वर्ष के अंदर कौशन मनी वापस लेनी चाहिये थी परंतु किसी भी छात्र एवं छात्राओ द्वारा धनराशि वापस लेने के लिए कॉलेज मे आवदेन नहीं किया गया था । **विभाग का उत्तर मान्य नहीं हें क्योकी** इकाई द्वारा न तो धनराशि वापस करने के संबंध मे शासन/**निदेशालय स्तर से भी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं किए गए थे एवं** उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 06 मे स्पष्ट हें कि यदि कोई छात्र कॉलेज छोड़ने के तीन वर्ष पश्चात तक अपनी कौशन मनी वापस लेने के लिए आवदेन पत्र' नहीं देता तो यह राशि लेप्स हो जाएगी उक्त नियम के संज्ञान के बावजूद इकाई द्वारा छात्रो को कोई नोटिस या ज्ञापन भी उपलब्ध नहीं कराया गया था सम्प्रेक्षा को इकाई द्वारा वर्ष-2019-20 मे छात्रवर्ती भुगतान हेतु पात्र चयनित 92 एवं 20 default छात्रो एवं छात्राओ की छात्रवर्ती धनराशि के भुगतान से संबन्धित प्रस्तुत सूची की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि उक्त 112 छात्रो एवं छात्राओ(92+20) की छात्रवर्ती धनराशि का on line सत्यापन सम्प्रेक्षा तिथि -09/20 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं किया गया था । जिसके कारण 112 लाभार्थियो को छात्रवर्ती धनराशि का लाभ नहीं मिल पाया । जिससे सम्प्रेक्षा तिथि-09/20 तक पात्र 92 छात्रो एवं छात्राओ को इकाई द्वारा छात्रवर्ती धनराशि के लाभ से वंचित किया गया । इस सम्बंध मे विभाग द्वारा 92 छात्रो एवं छात्राओ को छात्रवर्ती धनराशि के भुगतान न होने की समस्त जिम्मेवारी समाज कल्याण विभाग पर डाली हे । विभाग का उत्तर सम्प्रेक्षा मे मान्य नहीं है क्योकि उक्त 92 छात्रो एवं छात्राओ द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के कॉलेज मे शिक्षा प्राप्त की थी तथा उक्त छात्रो मे से कई छात्र अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति से संबन्धित गरीब छात्र शामिल थे जिनको सरकार द्वारा धन की सहायता हेतु छात्रवर्ती की धनराशि प्रदान की जाती है उक्त प्रकरण मे विभाग द्वारा 92 छात्रो एवं छात्राओ को छात्रवर्ती धनराशि के भुगतान के सम्बंध मे सम्प्रेक्षा तिथि -09/20 तक लगभग 02 वर्षो मे कोई प्रयास नहीं किया था । प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
SS/39/2009-10	**1,2,3**	1,2	**1**
SS/86/2013-14	**-**	1,2,3	**1**
SS/62/2008-09	**-**	1	**1**
SS/102/2018-19	**-**	1,2,3,4	**1,2,3**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग-दो-अ	भाग-दो-ब	STAN			
SS/39/2009-10	**1,2,3**	1,2	**1**	अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत
SS/86/2013-14	**-**	1,2,3	**1**	अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत
SS/62/2008-09	**-**	1	**1**	अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत
SS/102/2018-19	**-**	1,2,3,4	**1,2,3**	अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत

इकाई के द्वारा उत्तर दिया गया कि विगत लेखापरीक्षा के जारी प्रस्तरों के निस्तारण हेतु अनुपालन आख्या तैयार करके उच्चाधिकारी के माध्यम से प्रधान महालेखाकर कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------<u>शून्य</u>-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (पुरुष), देहरादून, उत्तराखंड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः - शून्य
3. सतत् अनियमितताएः - शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया था;

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
01	श्री अनिल सिंह	प्रधानाचार्य	07/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (पुरुष), देहरादून, उत्तराखंड** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (AMG-I), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून - पिन- 248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-I